

-: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नवीन वेतनमान 2008 में वेतन श्रृंखला 15600-39100 में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से अनुकूल चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने की सशर्त पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा० सुदीप गोयल, प्लॉट नं० 81, इन्द्रा कॉलोनी, सवाईमाधोपुर	R-9	13-07-81	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र पीलोदा (सवाईमाधोपुर)
2.	डा० राकेश ठाकुरिया, द्वारा कैलाश चन्द ठाकुरिया, ठाकुरिया सदन, बजरंग मैदान के पास, राजा कॉलोनी, जिला दौसा	R-10	19-08-81	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र तालचिडी (दौसा)
3.	डा० रविन्द्र कुमार तिवारी, पुत्र श्री रामनिवास तिवारी गौमती सदन, नया बस स्टैण्ड, वैर जिला भरतपुर-321408	R-12	22-11-82	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र गण्डाला (अलवर)
4.	डा० नेहा गुप्ता, द्वारा श्री एम० के० गुप्ता, 43 जैन कॉलोनी, दिव्य ज्योति अपार्टमेंट के पास, न्यू भूपालपुरा उदयपुर-313001	R-50	20-07-82	Gen-F	सामु०स्वा०केन्द्र बडगांव (उदयपुर)
5.	डा० विनीता गुप्ता, पुत्री श्री लक्ष्मीचंद गुप्ता, 3-के-24, तलवंडी कोटा	R-51	21-04-83	Gen-F	प्रा०स्वा०केन्द्र गरनावद (झालावाड)
6.	डा० सुवा राम सैनी, ढाणी श्यामीवाली (झुंझरजी) ग्रा०पो० सिरौही तह० नीम का थाना सीकर-332714	R-61	01-07-80	OBC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र तिहावली (सीकर)
7.	डा० रामप्रसाद मीणा, कमरा नं० 50, सीनियर बॉयज हॉस्टल, एस०एम०एस० मेडिकल कॉलेज जयपुर	R-82	20-07-80	ST-M	प्रा०स्वा०केन्द्र सोंप (करौली)
8.	डा० श्याम सुंदर मीणा, ग्राम सुन्दरपुर पो० गालदकलॉ, वाया मलारणाचौड तह० बौली जिला सवाईमाधोपुर	R-93	10-11-83	ST-M	प्रा०स्वा०केन्द्र खिरनी (सवाईमाधोपुर)

इन्हें कार्यग्रहण करने के समय अपने गृह जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली / प्रवर्ती २५१२ ५५

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।